न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–उदयपुर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 23/2024 रा.वा.

उनवान

मृतक रूपा पिता रामचन्द्र भोई के बजाय–

1/1 श्री भेरूलाल पिता रूपा जी भोई उम्र बालिग
1/2 श्रीमती नवली बाई पत्नी रूपा जी भोई उम्र बालिग
1/3 श्रीमती केशी बाई पुत्री रूपा जी भोई उम्र बालिग
1/4 श्रीमती अमरी बाई पुत्री रूपा जी भोई उम्र बालिग
1/5 श्रीमती तुलसी बाई पुत्री रूपा जी भोई उम्र बालिग
1/6 श्रीमती दुर्गा बाई पुत्री रूपा जी भोई उम्र बालिग
1/7 श्री प्रकाश पुत्र रूपा जी भोई उम्र बालिग
सभी निवासीयान सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

बनाम

1. श्री दिनेश पिता केसुलाल लढ्ढा उम्र बालिग
2. श्री कपिल लढ्ढा पिता दिनेश लढ्ढा उम्र बालिग
3. श्री विशाल लढ्ढा पिता दिनेश लढ्ढा उम्र बालिग
सभी निवासीयान पैलेस रोड, सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151.जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः–29/01/25

उपस्थितिः श्री जितेन्द्र पुरी गोस्वामी अधिवक्ता–वादीगण
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता –प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3

प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–07 नियम–11 एवं धारा–151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–वादीगण ने वादपत्र में मौजा सलूम्बर की वादग्रस्त आराजीयात 810, 812, 816 कुल किता 3 रकबा 0.23 हैक्टेयर का प्रस्तुत किया है जो श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है। वादीगण ने वास्तविक तथ्य को छुपाते हुये आप न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है जबकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 816 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 810 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि को पूर्व खातेदार श्री रूपा पिता रामचन्द्र जो वादीगण के पिता/पति थे जिन्होने उक्त दोनों आराजीयात नगरपालिका सलूम्बर से पट्टा संख्या 100 दिनांक 26–12–2018 को अपने नाम से आवासीय संपरिवर्तन कराई है, जिसका संपरिवर्तन पट्टा वादीगण के पति/पिता स्व. श्री रूपा ने नियमानुसार शुल्क जमा कराकर पट्टा प्राप्त किया है, इसलिये वादग्रस्त आराजी नम्बर 810, 816 कृषि नहीं होकर आवासीय भूमि है इसलिये आवासीय भूमि का विचारण श्रीमान् नहीं करते है, इसी बिनाह पर वादीगण का वाद खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 810, 816 आवासी होने से श्रीमान् न्यायालय के श्रणाधिकार का मामला नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–07 नियम–11 एवं धारा–151 जा.दी. कि नकल अधिवक्ता वादीगण को दिलाई गई। वादीगण ने जवाब पेश कर अंकित किया कि वादी का मुलवाद व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वादी द्वारा अपनी राजस्व भूमि आराजी नम्बर 812 के परिपेक्ष्य मे आप न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादीगण प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अन्तर्गत आराजी नम्बर 816 रकबा 0.09 हैक्टेयर,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आराजी नम्बर 810 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में आपत्ति जताई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में दर्शाई समस्त आराजीयात मे से आराजी नम्बर 812 रकबा 0.07 हैक्टेयर पर ही राहत मांगी जाकर आप प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है। तथा उक्त आराजी वर्तमान समय में पूर्ण रूप से किस्म कृषि भूमि होकर आप न्यायालय के पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होकर सुनवाई योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र असत्य कथन पर आधारित हो न्यायालय समय बर्बाद करने हेतु पेश हुआ है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादीगण को राहत प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण का आराजी नम्बर 810, 812, 816 पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है। वादीगण के पिता भेरूलाल ने नगरपालिका से संपरिवर्तन कराई। वादीगण के अनुसार आराजी नम्बर 812 कृषि भूमि है लेकिन इन्होने अपने वादपत्र की कलम संख्या 2 के अनुसार दुकाने बनी है वो अवैध रूप से बनाई है व रास्ता भी बना दिया है। आराजी नम्बर 810, 816 पूर्व से आबादी भूमि है तथा आराजी नम्बर 812 पर दुकाने बनी है। आराजी नम्बर 812 मेरे वर्षो से कब्जे मे है तथा कई वर्षो से दुकान बनी है। मेरे भूमि जो आबादी है उस पर वादीगण काबिज है। अतः निवदेन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–07 नियम–11 एवं धारा–151 जा.दी. का स्वीकार कर वादीगण वाद खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि हमारा मुख्य मुद्दा आराजी नम्बर 812 है, और उक्त पर उनका कब्जा है, 7 एयर मे से केवल एक एयर पर निर्माण है, तथा 812 अभी भी कृषि भूमि है, हॉ ये सही है कि इनकी पास में खातेदारी भूमि है, उस पर हम काबिज है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का खारिज फरमावे।

बहस मनन की गई तथा वादपत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण अपने खातेदारी आराजी नम्बर 810, 812, 816 की भूमि को वादपत्र मे कृषि भूमि बता कर वाद प्रस्तुत किया है। आराजी नम्बर 810, 816 वर्तमान मे कृषि भूमि नही है। तथा आराजी नम्बर 812 का स्वरूप परिवर्तन होना जाहिर होता है जिसे स्वयं वादीगण ने अपने वादपत्र की कलम संख्या 2 में जाहिर किया है। दोराने बहस प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजी नम्बर 812 तथा वादीगण का उक्त आराजी के पास स्थित प्रतिवादीगण की आराजी पर काबिज होने का तथ्य आया है जिसे वादीगण ने अपनी बहस मे स्वीकार किया है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–07 नियम–11 एवं धारा–151 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. मे खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 29/01/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर